न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 168/2019 दायरा दिनांक : 23.12.2019

उनवान

1— सीताबाई पुत्री लाला पत्नी केशरीलाल, जाति धाकड़, निवासी रीठोद, तहसील बारां, जिला बारां

2— मदन लाल पुत्र शंकरलाल, जाति धाकड़, निवासी रीठोद, तहसील बारां, जिला बारां

3— हेमराज पुत्र शंकरलाल, जाति धाकड़, निवासी रीठोद, तहसील बारां, जिला बारां

4— छगन लाल पुत्र शंकरलाल, जाति धाकड़, निवासी रीठोद, तहसील बारां, जिला बारां

5— सुशीलाबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी रामकिशन, जाति धाकड़, निवासी आंकोदिया, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6— कोकिला पुत्री शंकरलाल पत्नी रामकिशन, जाति धाकड़, निवासी इकलेरा मिसाई, तहसील किशनगंज, जिला बारां

7— कौशल्या पुत्री शंकरलाल पत्नी ओम प्रकाश, जाति धाकड़, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध-अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

1– प्रभूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति धाकड, निवासी रीठोद हाल निवासी संबलपुर, तहसील बारां, जिला बारां

2– केदार बाई पुत्री चन्दा पत्नी दुर्गालाल, जाति धाकड़, निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

2/1– दुर्गालाल पुत्र गोरधन, जाति धाकड़, निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2/2– भगवती प्रसाद पुत्र दुर्गालाल, जाति धाकड़, निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2/3– दुर्गादेवी पुत्री दुर्गालाल, जाति धाकड़, निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2/4– हंसराज पुत्र दुर्गालाल, जाति धाकड़, निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2/5– छोटूलाल पुत्र दुर्गालाल, जाति धाकड़, निवासी भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध-अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय **दिनांक : 27.01.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 133/1991 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.08.2019 न्याय, कानून एवं तथ्यों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक दांखाबाई का देहान्त दिनांक 30.11.2003 एवं मृतक केदारबाई का देहान्त दिनांक 10.10.2005 को हो चुका है उसके बावजूद उसके वैधानिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । उक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय सहायक कलेक्टर, (प्रथम) बारां द्वारा प्रकरण संख्या 133/91 में प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2001 को पारित की गई जिसकी अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील संख्या 373/2001 उनवान लाल(मृतक(मु0स0 सीताबाई बनाम मांगीलाल वगैरहा प्रस्तुत हुई जो दिनांक 30.07.2001 को स्वीकार की गई । जिसके अपील राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 5255/2001 उनवान मांगीलाल बनाम सीता बाई वगैरहा प्रस्तुत की गई जिसमें मृतक दाखाबाई के वारिसान एवं कायम मुकामान को पक्षकार बनाया जा चुका था किन्तु मृतक केदारबाई के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया था । उक्त अपील का

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय 25.04.2008 को पारित किया गया जिसकी अपील उच्च न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर में सिविल रिट संख्या 4891/2008 बउनवान सीताबाई बनाम मांगीबाई प्रस्तुत हुई जिसमें मृतक केदारबाई के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है जिसका निर्णय दिनांक 17.07.2018 को पारित किया गया है जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2018 को बिना मृतक दांखा बाई व केदारबाई के वैधानिक वारिसान को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांटगण को सुनवायी का अवसर प्रदान किये तहसीलदार बारां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया तथा तहसीलदार बारां द्वारा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना विभाजन प्रस्ताव मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध भिजवाया गया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.3019 को अंतिम डिक्री पारित किये जाने के पश्चात दिनांक 27.09.2019 को 1/1 के रूप में प्रभूलाल को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये हैं जिसमें कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि मांगीबाई का देहान्त किस दिनांक को हुआ है । इस प्रकार अंतिम डिक्री दिनांक 30.08.2019 व संशोधित आदेश दिनांक 27.09.2019 बिना वैधानिक प्रकिया अपनाये पारित किया गया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.08.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली उच्च न्यायालय से आई थी सभी पक्षकारों को

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

तलब करना था । पक्षकारों की तलबी नहीं हुई है । वादिनी मांगी बाई की मृत्यु हो चुकी थी तब वाद उच्च न्यायालय में जैरकार था उस दौरान मांगीबाई के कायम मुकामान को पक्षकार बनाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी मांगी बाई के कायम मुकामान का संशोधन होना चाहिए था । इसी प्रकार दाखा बाई के भी कायम मुकामान अधीनस्थ न्यायालय में नहीं बनाये गये । इसी प्रकार केदार बाई के भी कायम मुकामान अधीनस्थ न्यायालय में नहीं बनाये गये । अधीनस्थ न्यायालय में फाईनल डिक्री दिनांक 30.08.2019 को पारित की, जिसमें मांगी बाई, केदार बाई व दांखा बाई के नाम डिक्री हो गई। इनके कायम मुकामान नहीं बनाये गये । फाईनल डिक्री बनने के बाद 27.09.2019 को मांगी बाई के कायम मुकामान को शामिल कर लिया शेष के कायम मुकामान नहीं बनाये गये । अधीनस्थ न्यायालय ने मृतकों के खिलाफ डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । कायम मुकामान की तलबी भी नहीं हुई अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से सीधा बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया । फाईनल डिक्री गलत पारित की गई है, जो निरस्त कर कायम मुकामान बनाकर सभी की तलबी कर निर्णय पारित करना चाहिए । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 1995 पेज 475 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि कायम मुकामान कौन बनाता है । उच्च न्यायालय में ये अपीलांट थे इनको कायम मुकामान बनाने थे । अपीलांट जो मरे उसकी सूचना इनको दी थी । उच्च न्यायालय की पालना बाबत उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र लगाया । उच्च न्यायालय में हम जीत चुके हैं अब ये क्या चाह रहे हैं । अतः अपील खारिज की जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय से लौटकर आयी है । उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.08.2019 के वाद शीर्षक में मृतका मांगी बाई के स्थान पर दिनांक 27.09.2019 को मांगीबाई के वारिसान प्रभूलाल का नाम जोड़ा गया जबकि निर्णय दिनांक 30.08.2019 को ही कर दिया गया था । प्रकरण में दांखा बाई और केदार बाई की मृत्यु के पश्चात् इनके वारिसों को पत्रावली में नहीं लिया गया है जबकि दिनांक 30.08.2019 की डिक्री केदार बाई व दाखां बाई के नाम जारी की गई है और मांगी बाई के वारिसानों को भी डिक्री के बाद शामिल किया गया है । इससे स्पष्ट है कि मृतकों के खिलाफ डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त की जाती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2019 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि समस्त मृतकों के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर समस्त की तलबी की जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में बंटवारा किया जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर प्रकरण का विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.04.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा